पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

ओड़ा बड़ा

ग्राम पंचायत ओड़ा बड़ा

तहसील व ब्लॉक - बिछीवाड़ा

जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - गाँव सैकड़ों साल पहले चार भाइयों ने मिल के बसाया था। पहले जंगलों में बहुत शेर हुआ करते थे और शेरों के डर से लोग पेड़ों पर ओड़े बना कर उनमें छुप कर रहते थे। इसलिए यह गाँव ओड़ा बड़ा के नाम से जाना जाने लगा। गाँव में कलाजी का, बाबा रामदेव जी का और माताजी का मंदिर है। माताजी के मंदिर में हर साल भुट्टे, मिर्ची आदि से पूजा की जाती है। जंगल के बीच बसा यह गाँव आदिवासियों का पुराना गाँव है। इसमें प्रकृति प्रेमी आदिवासियों के साथ पाटीदारों और कलाल समाज के लोगों का निवास है।

गाँव का एक परिचय - जिला मुख्यालय डूंगरपुर से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में डूंगरपुर बिछीवाड़ा मार्ग के दोनों और ओड़ा बड़ा गाँव बसा है। ओड़ा बड़ा ग्राम पंचायत का अकेला गाँव है। इस गाँव में कुल 9 फले हैं और गाँव के बीच में से एक नदी और एक नाला बहता है। गाँव में कुल घरों की संख्या 1861 है। अनुसूचित जनजाति के 1441 घर, अनुसूचित जाति के 72 और पिछड़ा वर्ग के 352 तथा अन्य जातियों के 26 घर हैं। अनुसूचित जनजाति में खराड़ी, डामोर, रोत, रमात और अहारी आदि उप जातियों के लोग रहते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में पाटीदारों और कलाल समाज के लोग रहते है तथा सामान्य वर्ग में ब्राह्मण समाज के लोग निवास करते हैं। गाँव की कुल आबादी लगभग 8400 है। गाँव का कुल रकबा 6637 बीघा है जिसमें कृषि भूमि 3682 बीघा, चरागाह 1887 बीघा और 200 बीघा जंगल है। गाँव के 1550 घरों में बिजली है। बाकी लगभग 350 घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। गाँव में एक सरकारी राशन की दुकान है। बड़ा गाँव होने से लोगों को 3 से 8 किलोमीटर चलकर के राशन लाना पड़ता है। राशन में मात्र गेहूं मिलता है। पहले गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल भी मिलता था। अब सब बंद कर दिया गया है। सबसे बड़ा संकट मिट्टी का तेल बंद कर देने से हुआ। जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है उन लोगों को अपनी रात अंधेरे में गुजारनी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी पढ़ने वाले उन बच्चों के लिए है जिनके घर न तो बिजली है और ना ही मिट्टी का तेल। जिसके कारण उनकी रात की पढ़ाई बंद रहती है। आर्थिक अभाव के कारण आदिवासी ब्लैक में पचास से सत्तर रु. लीटर मिट्टी का तेल खरीद पाने में असमर्थ हैं। गाँव में शिलालेख मार्च 2018 में हुई थी। पेसा कानून के बारे में अभी समझ नहीं बन पाई है।

आवागमन की स्थिति - ओड़ा बड़ा गाँव के लिए डूंगरपुर जिला मुख्यालय से बस, जीप और टेंपो मिलता है। ओड़ा बड़ा गाँव डूंगरपुर-बिछीवाड़ा मार्ग के दोनों और बसा हुआ है। मुख्य मार्ग से गाँव में जाने के लिए कोई साधन नहीं है। वहां से लोग 1 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर अपने अपने घरों को जाते हैं। गाँव के दक्षिण में गाँव की आबादी ज्यादा है वहां के लिए एक पक्की सड़क है जो अब कहीं-कहीं टूट-फूट गई है। गाँव में जो आर.सी.सी. रोड़ भी है वह भी कहीं कहीं टूट फूट गई और अब जर्जर हो चुकी है। गाँव और रोड भी है जिसमें से कुछ की हालत ठीक है। गाँव में कच्चे रास्ते, आर.सी.सी. सड़क और पक्की सड़कों से ज्यादातर लोगों के घरों तक आने जाने के लिए पगडण्डी है। वहां कोई भी साधन नहीं

जा सकता है एक फले से दूसरे फलेले में जाने के लिए पर्याप्त रास्तों का अभाव है। गाँव के बीच से उदयपुर डूंगरपुर रेलवे लाइन होने से लोगों को सड़क तक आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गाँव में रास्ते के अभाव से सबसे ज्यादा परेशानी बीमार, बूढ़े और बच्चों को होती है। बीमार लोगों को अपने घरों से गाँव की सड़क तक लाने के लिए चारपाई अथवा झोली में लिटा कर लाना पड़ता है और बच्चों को 2-4 कि.मी.पहाड़ी रास्तों पर पैदल चल कर विद्यालय जाना पड़ता हैं।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गाँव में बीमार लोगों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कनबा में है जो गाँव से एक से सात किलोमीटर दूरी पर है। गंभीर मरीजों के इलाज के लिए बिछीवाड़ा (10 किलोमीटर) अथवा डूंगरपुर(15 किलोमीटर) दूर जाना पड़ता है। मरीजों को घर से प्राइवेट साधन द्वारा अस्पताल ले जाना पड़ता है और घर से गाँव की सड़क तक मरीजों को चारपाई या झोली में लिटा कर पहुंचाना पड़ता है। गाँव में 5 प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें एक कक्षा पहली से आठवीं तक और एक विद्यालय कक्षा पहली से बारहवीं तक है। प्राथमिक विद्यालय डोली फला में साठ बच्चे, नालफला में 80 बच्चे, बीच दरा में 40 बच्चे, मड़िया धरा में 32 बच्चे, जलिया धरा में 36, बच्चे ओड़ धरा फला में 42 बच्चे हैं। प्रत्येक विद्यालय में दो-दो अध्यापक हैं। कक्षा पहली से आठवीं तक विद्यालय में 217 बच्चे और 7 अध्यापक हैं और कक्षा पहली से बारहवीं तक विद्यालय में 313 बच्चे और 10 अध्यापक है। डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चों को डूंगरपुर जाना पड़ता है।

गाँव की समस्याएं -

आवागमन की कमी - गाँव डूंगरपुर बिछीवाड़ा मार्ग के दोनों ओर बसा होने के कारण गाँव से कहीं आने-जाने का साधन आसानी से मिल पाता है। लेकिन गाँव के अंदर आने-जाने के रास्तों की विकट समस्या है। एक से दूसरे फले में जाने के लिए कुछ तो आर.सी.सी. सड़क बनी है जिसमें कुछ टूट गई है और कुछ फलों में जाने के लिए कच्चे रास्ते भी नहीं है। लोग पगडंडी से आते-जाते हैं गाँव के ज्यादातर घर जो रास्ते से दूर हैं उनके घर तक कोई जाने-आने का रास्ता नहीं है। पैदल के अलावा कोई साधन उनके घर तक नहीं जा सकता। रास्ते के संकट के कारण सबसे ज्यादा परेशानी बीमार बच्चों और बूढ़े लोगों को उठानी पड़ती है। बीमार लोगों को इलाज के लिए घर से गाँव की सड़क तक चारपाई अथवा झोली में डाल कर लाना पड़ता है। बरसात के समय सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को आने-जाने में उठानी पडती है नीचे के सभी रास्ते पानी से भर जाते हैं।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गाँव में समतल जमीन बहुत कम है। पहाड़ियों की घाटी में ही समतल जमीन है। वह भी कुछ लोगों के पास है बाकी लोगों के पास पहाड़ों की ढलानें, उबड़-खाबड़ तथा पथरीली जमीन है। गाँव के आधे चरागाह पर गाँव के कुछ लोगों का कब्जा है और बाकी आधे चरागाह खाली है जिस में उगने वाली घास को गाँव के लोग काट कर पशुओं के लिए लाते हैं। गाँव की सारी बिना नाम

भूमि पर लोगों का कब्जा है। 1990 तक 200 बीघा जंगल पर वन विभाग का कब्जा था 1990 में वन विभाग ने सारी जमीन पंचायत को सौंप दी है। गाँव के सारे पहाड़ खाली पड़े है कहीं-कहीं सागवान और बबूल के पेड़ हैं। बहुत सारी जमीनें भी पड़त पड़ी हुई हैं। उनका ना तो कृषि में उपयोग हो रहा है न ही वृक्षारोपण में। गाँव के किसान जितनी भूमि पर काबिज है उसका उनको अधिकार पत्र नहीं मिला है। जिससे उनके अंदर हमेशा यह भय बना रहता है कि कभी भी सरकार उनकी जमीन छीन सकती है। गाँव के किसानों में वृक्षारोपण के प्रति भी भय व्याप्त हैं। वह समझते हैं कि जिस तरह से सरकार ने जंगल पर वन विभाग का कब्जा करा दिया है। उसी तरह अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो हमारी जमीन को भी वन विभाग कब्जे में कर लेगा जिसके चलते वृक्षारोपण के प्रति उनकी उदासीनता है। गाँव में गर्मियों में पानी का संकट बढ़ जाता है। पीने के पानी को दूर दूर से चल कर लाना पड़ता है। गाँव से सापर नदी निकलती है उस पर चार एनीकट बने हैं लेकिन बरसात के बाद एक एनीकट को छोड़कर किसी भी एनीकट में पानी नहीं ठरहता है। सभी पानी रिस कर निकल जाता है। गाँव से एक नाला भी निकलता है जिस पर पांच एनिकट बने हुए हैं। सभी एनीकट टूट गए हैं और बरसात के बाद एक एनिकट को छोड़कर किसी भी एनीकट में पानी नहीं रहता है। गाँव में तीन छोटे और एक बड़ा तालाब है। छोटे तालाब अक्टूबर के अंत तक सूख जाते हैं। बड़े तालाब में दिसंबर तक पानी रहता है। नदी-नाले और तालाब में बरसात का पानी रोक कर पूरे वर्ष उसे जीवंत बनाए रखने की गाँव के पास कोई भी योजना नहीं है। बोरवेल बढ़ते जाने से गाँव का भूजल-स्तर लगातार नीचे जा रहा है। गर्मियों में बोरवेल में भी पानी कम हो जाता है। बोरवेल के कारण मार्च के बाद अधिकतर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। गाँव में आधे से ज्यादा हैंडपंप पंचायत की लापरवाही और उदासीन के कारण लंबे समय से मरम्मत के अभाव में खराब पड़े हुए हैं। पानी के संकट को दूर करने की योजना या कार्य नीति अभी तक नहीं है।

कृषि एवं रोजगार की स्थिति - गाँव में कृषि के लायक भूमि या तो बहुत कम है या किसी के पास है भी तो वह पहाड़ों की घाटी में है। लोगों के पास पहाड़ों की ढलान वाली, उबड़-खाबड़ पथरीली खेती है। जिन लोगों के पास निजी ट्यूबवेल है वह लोग अपनी समतल जमीन में धान और गेहूं पैदा करते हैं। बाकी लोग केवल बरसात में होने वाली फसल पर ही निर्भर करते हैं। सूखे की स्थिति में उनकी खेती से कोई उपज नहीं मिल पाती है। धान, गेहूं, मक्का, सोयाबीन और उड़द उनकी मुख्य फसल है। जिनके पास समतल जमीन है और वे ही गेहूं पैदा कर पाते हैं तो उनको 4 से 6 महीने खाने भर का अनाज हो जाता है। बाकी लोग 2 से 4 महीने ही खाने भर का अनाज पैदा कर पाते हैं। वह भी प्रकृति के भरोसे ही पैदा होता है। गाँव में रोजगार का कोई साधन नहीं है। अपनी स्वयं की खेती के अलावा मनरेगा में मजदूरी ही मात्र गाँव में रोजगार का साधन है। खेती भी इतनी नहीं है कि वह पूरे परिवार का भरण पोषण कर सके। मनरेगा में मजदूरी की दशा खेती से भी बदतर है। पूरे वर्ष में साठ से सत्तर दिन काम और सत्तर से नब्बे रु. रोज की मजदूरी मिलती है। नरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उनको न तो सौ दिन पूरे

काम मिलता है और न ही पूरी मजदूरी मिल पाती है। यह मनरेगा भी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए रोजगार का साधन नहीं बन सका है। बदहाली और भुखमरी से बचने के लिए गाँव के युवा जिले के नजदीक के शहर या बाजार में दैनिक मजदूरी के लिए जाते हैं। अगर वहां उनको कोई काम मिलता है तो ठीक नहीं तो बिना काम वह वापस घर चले आते हैं और फिर दूसरे दिन उसी मजदूर मंडी में पहुंच जाते हैं। जिले के निकट के शहरों में काम नहीं मिलने से लोग गुजरात के शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। जहां वह ढाई सौ से तीन सौ रु. दैनिक मजदूरी पर काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। पशुपालन में लोग गाय भैंस बैल बकरी इत्यादि पालते हैं लेकिन देसी नस्ल होने के कारण उनसे भी दूध मात्र बच्चों के पीने भर का ही होता है। चारे का अभाव होने के कारण उन्हें वर्ष में पांच महीने का चारा बाजार से खरीदना पड़ता है। मनरेगा में सामान्यतया वार्ड पंच लोगों का आवेदन तो करवाते हैं लेकिन आवेदन की रसीद नहीं देते हैं जिसके कारण उनको 100 दिन का काम नहीं मिल पाता है। मस्टर-रोल में फर्जी नाम डाल देने से उनको पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती है। 100 दिन काम नहीं मिलने से श्रमिक कार्ड से भी लोग वंचित हो जाते हैं।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - गाँव में लोग खेती के लिए बैल पालते हैं। बैलों के अलावा गाय, भैंस तथा बकरी भी पालते हैं। पशुओं के लिए चारा गाँव के लोगों के पास मार्च तक खत्म हो जाता है। मार्च के बाद लोगों को चारा खरीद कर खिलाना पड़ता है। बरसात होने पर जब घास उगती है तब जाकर उनको चारा खरीदने से राहत मिलती है। चारे के अभाव में उनके पशु गर्मियों में बहुत कमजोर हो जाते हैं। पौष्टिक चारे की कमी के कारण गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो से ढाई लीटर दूध देती है। चारे की कमी के साथ-साथ अच्छी नस्ल भी नहीं होना दूध कम देने का कारण है। गाँव के आधे चरागाह पर लोगों का कब्जा है और बचे हुए चरागाह की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। उसमें चारा प्रकृति के भरोसे ही पैदा होता है। गाँव में जंगल की जमीन में कटीले बबूल और झाड़ियां होने से चारा कम ही मिल पाता है। गर्मियों के दिनों में पहाड़ियों पर घास होती ही नहीं है। पशुओं के चारे और अच्छी नस्ल के पशुओं की व्यवस्था गाँव की पहाड़ियों और बेकार पड़ी जमीनों से और सरकारी विभागों के सहयोग से की जा सकती है। इसके लिए गाँव के लोगों को सामूहिक रूप से बैठकर अपनी सहमति से कृषि और पशुपालन विभाग की मदद से चारे और देसी की जगह अच्छी नस्ल के पशुओं की समस्या का समाधान किया जा सकता है और पशुपालन से लोगों के आय के साधन बढ़ाए जा सकते हैं।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति- गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन, आवास, राशन, श्रमिक कार्ड, मनरेगा में सौ दिन काम, पूरी मजदूरी एवं समय से मजदूरी का भुगतान नहीं मिल पाता है। कुछ तो उनकी अज्ञानता के कारण और बाकी सरकारी विभागों तथा गाँव के जनप्रतिनिधियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। सबसे दुखद तो विकलांगों तक को सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है वह पेंशन हो अथवा आवास। सरकारी दुकान पर प्रति व्यक्ति प्रति महीने 5 किलो

गेहूं के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। बड़ी परेशानी गाँव वालों को मिट्टी का तेल नहीं मिलने से होती है। जिन लोगों के पास बिजली के कनेक्शन नहीं है, उनको रात अंधेरे में गुजारनी पड़ती है। रात में बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई है। उन लोगों के लिए यह स्थिति नहीं है जो बाजार से 70 रु. प्रति लीटर मिट्टी का तेल खरीद सकें। पेंशन पाने की उम्र हो जाने पर भी लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती है। न तो उनका कोई आवेदन करने वाला है न ही कोई उम्र संशोधन करवाने वाला। आवास भी उन्हीं लोगों को मिलता है जो सरपंच और सचिव को प्रति आवास 10,000 रु. देते हैं और मतदान भी सरपंच को किए हो।

गाँव में उपलब्ध संसाधनों की हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल नदी नाला कुआं बोरवेल हैंड पंप	गाँव से सापर नदी निकलती है जिस पर चार एनिकट बने हुए हैं। एक एनीकट में फरवरी तक पानी रहता है बाकी तीन एनिकट टूटे हुए हैं। जिससे पानी रिस कर निकल जाता है और तीनो एनीकट बरसात के बाद सूख जाते हैं। एक नाला भी गाँव से हो कर निकलता है जिस पर पांच निकट बने हुए हैं। सारे एनिकट टूट गए हैं जिससे पानी बरसात के बाद रिस कर निकल जाता है और वह सूख जाते हैं। एक एनीकट ठीक हालत में है जिससे जनवरी तक पानी रहता है। गाँव में चार तालाब है जिसमें तीन छोटे और एक बड़ा तालाब है। तीनों छोटे तालाब बरसात के बाद सूख जाते हैं और बड़े तालाब में दिसंबर तक पानी रहता है। ज्यादातर कुँए गर्मियों में सूख जाते हैं। गाँव में जो हैंडपंप लगे हैं उसमें से आधे से ज्यादा हैंडपंप खराब पड़े हैं। गाँव में लगभग सत्तर ट्यूबवेल है। जिसमें भी गर्मियों में	गाँव में नदी और नाले पर बने एनीकट की मरम्मत करके और योजनाबद्ध तरीके से नए एनिकट बनाकर नदी और नाले के पानी को पूरे वर्ष तक रोका जा सकता है। गाँव के चारों तालाब का गहरीकरण और मरम्मत करके तालाब भी पूरे वर्ष तक पानी रोका जा सकता है। नदी, नाले और तालाब में पूरे वर्ष पानी रुकने से गाँव के अधिकतर लोगों के सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जा सकती है और गिरते भूजल स्तर को रोका जा सकता है। भूजल स्तर ऊंचा होने से कुओं में भी वर्ष भर पानी रहने से पीने के पानी और सिंचाई की संभावना बढ़ जाएगी। पुराने कुओं की मरम्मत करके अशुद्ध पीने के पानी से मुक्ति भी पाई जा सकती है। हैंडपंप की मरम्मत करके लोगों को गर्मियों में पानी के संकट से छुटकारा दिलाया जा सकता है और ट्यूबवेल से पानी निकालने पर गाँव सभा को निर्णय करना होगा। पानी

	पानी कम हो जाता है। बोरवेल से लगातार पानी निकालने के कारण भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है।	के संकट से छुटकारा पाने के लिए गाँव सभा से पंचवर्षीय योजना तैयार करवाकर इस पर तुरंत अमल करने की जरूरत है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह	गाँव का पूरा रकबा 6637 बीघा है और इसके अलावा 200 बीघा जंगल की जमीन भी है। गाँव की आधी जमीन पर ही खेती होती है बाकी जमीन खाली पड़ी है। कृषि की यह जमीन ज्यादातर एक फसली है। इसमें बरसात में बोई जाने वाली फसल ही होती है। कृषि की समतल जमीन ही सिंचित है वह भी जिनके पास निजी ट्यूबवेल है। बिला नाम भूमि पर गाँव वालों का कब्जा है। आधी चरागाह भूमि पर गाँव वालों का कब्जा है और आधी चरागाह खाली है। जिस पर बरसात के समय घास उगती है और उसे गाँव के लोग अक्टूबर में काटकर चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। गाँव में 200 बीघा जंगल की जमीन है। जिस पर 1990 तक वन विभाग का कब्जा था। 1990 में वन विभाग में जंगल की जमीन ग्राम पंचायत को सौंप दी है जिस पर कुछ सागवान और बबूल के पेड़ है।	गाँव में जितनी जमीन है उसके आधी जमीन पर खेती होती है और विला नाम भूमि तथा आधे चरागाह पर भी खेती की जाती है। गाँव की ज्यादातर जमीन पहाड़ और पथरीली तथा उबड़-खाबड़ होने से खेती में उत्पादन बहुत कम होता है खेती, वृक्षारोपण, मछलीपालन की बेहतर योजना और प्रबंधन से गाँव के लोगों की आय बढाई जा सती है। जो जमीन सिंचित है उस पर खेती करने तथा संपूर्ण असिंचित जमीन पर बागवानी करने से गाँव के लोगों की आय के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं। चारागाह की भूमि का बेहतर प्रबंधन करने और उन्नत नस्ल के दुधारू जानवर पालने की बेहतर योजना से लोग दूध के व्यवसाय को अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं। जंगल को पुनर्जीवित करके उससे लघु वन उपज भी ले सकते हैं। जिससे गाँव के लोगों की आय का स्रोत को बढ़ाया जा सकता है। गाँव तक नदी, नाले और तालाब में पानी रोकने की व्यवस्था करके सिंचाई के साथ ही साथ मछली पालन भी किया जा सकता है। यह सब करने के लिए गाँव के लोगों को जागरूकता और सामूहिक भावना की बेहद जरूरत है। अगर योजनाबद्ध तरीके से

		खेती/बागवानी/पशुपालन/मछली पालन/छोटे व्यवसाय के लिए लोग सोचना और समझना शुरू करें तो गाँव से नौजवानों के पलायन को रोका जा सकता है और गाँव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। भले ही वह सीमित ही क्यों ना हो।
जंगल	गाँव में 200 बीघा जंगल की जमीन है जो ग्राम पंचायत के आधीन है। उस पर अभी कुछ सागवान और कटीले बबूल के पेड़ तथा झाड़ियां हैं।	जंगल को पुनर्जीवित करने की एक बेहतर योजना की जरूरत है। जंगल में फलदार और इमारती लकड़ी के वृक्ष लगाने के लिए वन विभाग और उद्यान विभाग की मदद ली जा सकती है। दो सौ बीघा जमीन में अगर जंगल को तैयार कर लिया हो तो बहुत सारे परिवार का भरण पोषण लघु वन उपज से किया जा सकता है इसके लिए गाँव के लोगों में सामुदायिक सोच और जागरूकता की जरुरत है।

गाँव सभा द्वारा चयनित समस्याएं -

क्र.सं.	**समस्याएं**	**सार्वजनिक/ व्यक्तिगत**	**कारण**	**समाधान**	**तात्कालिक/ दीर्घकालिक**
1	रास्ते की समस्या	सार्वजनिक	गाँव में रास्तों का निर्माण पी.डब्ल्यू.डी. और पंचायत द्वारा होता है। गाँव की पक्की सड़क जो पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बनाई जाती है। वह एक बार टूटने के बाद उसकी मरम्मत सालों साल तक नहीं की जाती है। पंचायत द्वारा जो आर.सी.सी	रास्ते के संकट से निपटने के लिए गाँव सभा द्वारा जहां रास्ते नहीं है वहां के लिए प्रस्ताव लिया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक में गाँव सभा के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करके पंचायत स्तरीय	**तात्कालिक**

			सड़क बनाई जाती है वह मानकों के अनुरूप नहीं होने से वह दो तीन वर्षों में ही टूट फुट जाती है। कच्चे रास्ते एक बार बना देने के बाद उसकी मरम्मत भी नहीं की जाती है। मुख्य सड़क से जो सी.सी. सड़क या कच्चे रास्ते से लोगों के घर के जाने के लिए पगडंडी है जिन लोगों की पंचायत के साथ संबंध अच्छे हैं या सरपंच को मतदान किए हैं उनमें कुछ लोगों के घरों तक रास्ते बन जाते हैं बाकी लोगों के घरों तक केवल पैदल ही जाया जा सकता है। गाँव मैं रास्ते के संकट का कारण सरकार की उपेक्षा एवं पंचायत द्वारा भ्रष्टाचार एवं पक्षपातपूर्ण रवैया है।	एक्शन प्लान में रास्ते के सभी प्रस्ताव शामिल करने की गाँव सभा ने योजना बनाई है और सतर्कता समिति का भी गठन किया है जो गाँव सभा में होने वाले किसी भी कार्य की निगरानी करेगी तथा रास्ते के बीच में जिन लोगों की जमीन आ रही है उन लोगों से भी सहमति बनाने का प्रयास गाँव सभा द्वारा किया जा रहा है।	
2	शिक्षा व्यवस्था का ठीक नहीं होना (विद्यालय एवं आंगनवाड़ी)	सार्वजनिक	गाँव में बच्चों का शैक्षणिक स्तर बहुत ही खराब है। उन्हें पढ़ाने के लिए न तो अध्यापक हैं और न ही कमरे। काफी समय से प्राइमरी के पांचों स्कूलों में मात्र एक अध्यापक कार्यरत था। सत्र 2018 में पांचों विद्यालय में एकएक-अध्यापक की नियुक्ति	गाँव सभा गठन के बाद गाँव सभा की बैठक करके विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति और विद्यालय भवन की मरम्मत तथा पानी की व्यवस्था ठीक करने और आंगनवाड़ी भवन निर्माण तथा	**तात्कालिक**

			की गई है। दो अध्यापक पांच कक्षाओं को कैसे पढ़ा सकेंगे यह आसानी से समझा जा सकता है और दो कमरों में 5 कक्षाएं कैसे चलेगी यह तो शिक्षा विभाग और सरकार ही बता सकती है। शिक्षा के प्रति गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी भी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में सहायक रही है। सरकार और शिक्षा विभाग तो शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए लगा ही हुआ है। जिसके कारण अध्यापकों को न तो नियुक्ति हो रही है न ही बच्चों के बैठने के लिए कमरों का निर्माण हो पा रहा है। गाँव में दस आंगनबाड़ी चलती है। जिनमें से तीन आंगनवाड़ियों के लिए भवन ही नहीं बना है और 7 भवनों में से तीन भवन जर्जर हालत में है। जिसमें बच्चों को नहीं बैठाया जाता है क्योंकि तीनों ही आंगनवाड़ी के भवन किसी भी समय गिर सकते हैं।	उसकी मरम्मत के प्रस्ताव लिए गए हैं। गाँव सभा में यह भी निर्णय लिया गया है कि विद्यालय और आंगनवाड़ी की समस्या के समाधान के लिए गाँव सभा द्वारा शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। यह समस्या ब्लॉक के हर गाँव में है इसलिए ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों को एक साथ बैठकर इस समस्या से निपटने की योजना तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है।	

3	कृषि से संबधित समस्या	सार्वजनिक	गाँव में ऐसी कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम है जिस पर कम से कम दो फसल पैदा की जा सके। गाँव की अधिकतर कृषि भूमि एक फसली है जिस पर केवल बरसात में बोई जाने वाली फसल ही पैदा होती है। गाँव की कृषि व्यवस्था लगभग प्रकृति पर निर्भर है। उबड़ खाबड़ पथरीली और पहाड़ियों की ढलान वाली जमीन पर जो खेती होती है उसमें उत्पादन भी बहुत ही कम होता है। संकट तब और बढ़ जाता है जब उन्नतशील बीज और खाद भी नहीं मिलती है। गाँव की बहुत सारी जमीन भी बेकार पड़ी हुई है। जिसके लिए गाँव के लोगों के पास कोई योजना नहीं है।	खेत का समतलीकरण। बरसात के पानी को रोकने के लिए नदी नालों पर एनीकट निर्माण और पुराने एनिकट की मरम्मत के अलावा तालाबों का गहरीकरण और मरम्मत खेत तलावड़ी, मेड़बंदी कच्चे डैम निर्माण करना। खेती के साथ साथ बागवानी पर भी ध्यान देना। उन्नतशील बीज और खाद की उपलब्धता के साथ खेती के जमीनों की उर्वराशक्ति को बढ़ाना।	**तात्कालिक**
4	काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	गाँव के लोग सैकड़ों साल से गाँव में बसे हुए हैं जिस भूमि पर वह काबिज है। वह उनकी खातेदारी में दर्ज नहीं है। जमीन का हक नहीं मिलना आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। जमीन सुधार की योजना सरकार के पास नहीं है।	गाँव के लोगों ने काबिज भूमि पर पट्टे का दावा तो पहले से कर रखा है, लेकिन उसकी पैरवी के प्रति लोगों में उदासीनता के चलते पट्टे नहीं मिल रहे हैं। गाँव सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित	**दीर्घकालिक**

			सरकार की अघोषित नीतियों के कारण किसानों को अपनी काबिज भूमि पर अधिकार पत्र देना राजस्व विभाग ने बंद कर दिया है। किसानों में एक प्रकार से भय पैदा हो गया है इसलिए भी खेती की बेहतर योजना बनाने के प्रति उदासीनता व्याप्त है कि सरकार कब उनकी जमीन छीन लेगी! ऐसी आशंका उनको हमेशा सताती रहती है।	किया गया है कि गाँव के लोग जितनी भूमि पर काबिज है उसके दावे की फाइल तैयार करके गाँव सभा द्वारा दावा कराया जाएगा और जिन के पट्टे मिल गए हैं उनके नियमन के दावे की भी जिम्मेदारी गाँव सभा द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए गाँव सभा ने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है।	
5	आवास, शौचालय निर्माण और उसके भुगतान संबंधी समस्या	व्यक्तिगत	गाँव के अधिकतर लोग गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं वह अपने आवास भी नहीं बना सकते हैं। गाँव के लोगों को प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास जरूरतमंद लोगों को कम ही मिलता है। जिन लोगों को आवास मिलता है। उन्हें 10,000 रु. पंचायत में सेवा शुल्क देना पड़ता है। तब कहीं आवास के आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। आवास बनने के बाद बहुत से लोगों का भुगतान भी समय से	गाँव सभा ने इस समस्या के समाधान के लिए बैठक में जरूरतमंद लोगों के आवास निर्माण और बकाया भुगतान के लिए आवेदन करने की कमेटी बनाकर उसे इसकी जिम्मेदारी दी गई है।	**तात्कालिक**

			नहीं होता है। शौचालय के लिए पहले गाँव के लोगों को शौचालय बनाना पड़ता है। फिर भुगतान किया जाता है। उसके लिए भी लोगों को सेवा शुल्क देना होता है। सेवा शुल्क देने के बाद भी गाँव के ज्यादातर लोगों को शौचालय का भुगतान नहीं मिला है।		
6	पेयजल की समस्या	व्यक्तिगत	गाँव में गर्मियों के दिनों में लोगों को पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ता है। भू-जल स्तर नीचे चले जाने से ज्यादातर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। ट्यूबवेल में भी पानी कम हो जाता है। जिससे उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता है। गाँव में बरसात के पानी को रोकने की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं होने से संकट लगातार बढ़ रहा है। पीने के पानी में फ्लोराइड और आयरन पाया जाता है।	समाधान बरसात के पानी को पूरे वर्ष नदी नाले और तालाब में रोकने की योजना बनाना बरसात के पानी को फिल्टर करके पीना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths **शक्तियां**	**W- Weakness** **कमजोरी**	**O- Opportunities** **अवसर**	**T- Threats** **चुनौतियां**
आवागमन - गाँव में पक्की सड़कें	पक्की सड़क केवल प्रभावशाली फलों तक	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते	गाँवकमेटियों का मजबूत ना होना।

कच्चे रास्ते	कच्चे रास्ते को आर.सी.सी. नहीं करना। पगडंडी को चौड़ा नहीं करना।	हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी।
जल नाला एनीकट कुआं बोरवेल हैंड पंप	गाँव से निकलने वाली नदी और नालों पर कुल 9 एनीकट बने हुए है। दो को छोड़कर बाकी सभी एनीकट टूट गए हैं। पहाड़ों के दर्रे में एनीकट नहीं बनाना। कुओं को रिचार्ज नहीं करना। गाँव के तालाबों की मरम्मत और गहरीकरण नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी।	पुराने सात एनीकट की मरम्मत और नए एनिकट बनाना। गाँव के चरों तालाबों का गहरीकरण और मरम्मत करके तथा बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।
आजीविका के साधन	गाँव की सभी पहाडियाँ और बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हैं, गाँव में रोजगार के साधन का अभाव। कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव। जंगल को पुनर्जीवित करने की योजना का आभाव।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती तथा, तालाबों और एनिकट में मछली पालन करके, जंगल को फिर से पुनर्जीवित करके आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती कीजमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।
भूमि	गाँव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा

	गाँव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना।	निकलवाना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना। जंगल को फिर से हराभरा करना।	सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	पेंशन के संबंध में	
	वृद्धा पेंशन दो	2
	विधवा पेंशन	3
	विकलांग पेंशन	9
	एकल नारी	6
	बंद पेंशन शुरू कराने के संबंध में	5
	पालनहार योजना	9
2	प्रधानमंत्री आवास निर्माण	19
3	शौचालय निर्माण	2
	शौचालय निर्माण की बकाया किस्त भुगतान	4
4	विद्यालय भवन मरम्मत - प्राथमिक विद्यालय मड़ियाफला - परकोटा निर्माण आर.ओ. प्लांट शौचालय में पानी की व्यवस्था बिजली की व्यवस्था	1
5	प्राथमिक विद्यालय ओडापाल छत मरम्मत	1
6	राशन की दुकान ओडापाल में शुरू करने के संबंध में	1
7	सामुदायिक भवन(ओडापाल में) निर्माण	1
8	आंगनबाड़ी के संबंध में	
	बीजदरा फला में आंगनवाड़ी की मरम्मत	1
	डोलीफला में आंगनवाड़ी की मरम्मत	1
9	रास्ता निर्माण के संबंध में सी.सी. सड़क 11000 मीटर सड़क 1000 मीटर कच्चा रास्ता 3700 मीटर सीसी सडक मय पुलिया 1500 मीटर सीसी सड़क मय पुलिया 1000 मीटर अन्य सड़क 250 मीटर	--
10.	तालाब मरम्मत और गहरीकरण	

	कोठारिया तालाब में निम्नांकित काम करवाने -	
	1. पाल का निर्माण	1
	2. पानी का रिसाव रोकना	1
	अलहीदरा तालाब में निम्नांकित काम करवाने -	1
	1. अलहीदरा तालाब का गहरीकरण एवं	1
	2. रिंगवाल का निर्माण	
11	हैंडपंप का मरम्मत और नया लगाने के संबंध में	
	मरम्मत	13
	नया हैंडपंप	32
12	केटेगरी 4 के कार्य खेत समतलीकरण पशु बाड़ा निर्माण खेत तलावडी निर्माण गहरीकरण मरम्मत और मेड बंदी के संबंध में	89
13	चेक डैम निर्माण के संबंध में	25
14	काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा गांव सभा द्वारा कराने के संबंध में	1
15	वन पर सामुदायिक दावा एवं वन अधिकार समिति बनाने के संबंध में	1
16	श्मशान घाट के संबंध में	
	श्मशान घाट की जमीन श्मशान घाट के नाम से आरक्षित करना	1
	मेन रोड से शमशान घाट तक सीसी सड़क 200 मीटर	1
17	गांव के आपसी विवाद को गांव सभा में निपटाने के संबंध में	1
18	सामाजिक कुरीतियों के संबंध में - डायन प्रथा पर रोक मौताणा प्रथा पर रोक बाल विवाह पर रोक बाल श्रम पर रोक	1
19	बिजली कनेक्शन के संबंध में नानफला और कुंडली फला में बिजली कनेक्शन से वंचित लोगों का आवेदन गांव सभा द्वारा किया जाना	1

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया - फोटो गैलेरी

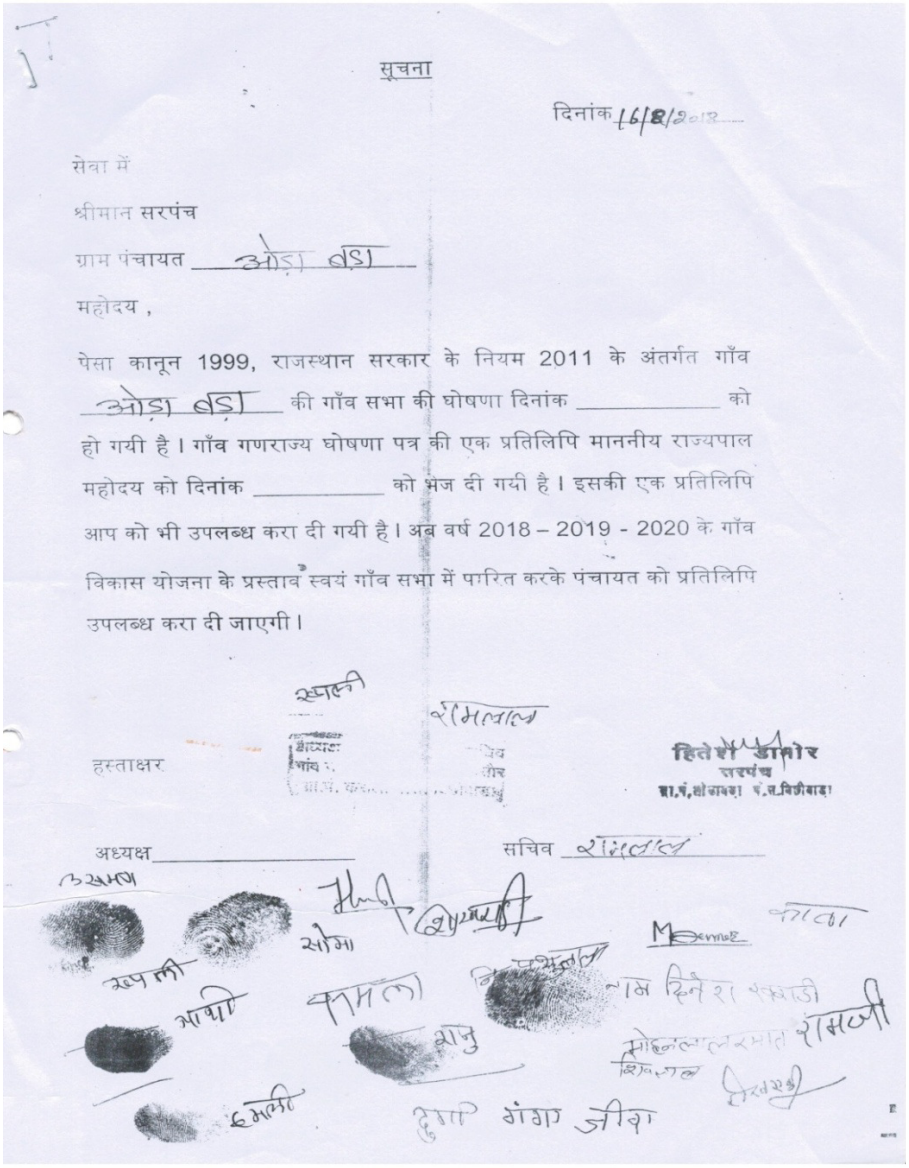

सूचना

दिनांक 16/8/2018

सेवा में

श्रीमान सरपंच

ग्राम पंचायत ओड़ा बड़ा

महोदय ,

पेसा कानून 1999, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अंतर्गत गाँव ओड़ा बड़ा की गाँव सभा की घोषणा दिनांक __________ को हो गयी है। गाँव गणराज्य घोषणा पत्र की एक प्रतिलिपि माननीय राज्यपाल महोदय को दिनांक __________ को भेज दी गयी है। इसकी एक प्रतिलिपि आप को भी उपलब्ध करा दी गयी है। अब वर्ष 2018 – 2019 - 2020 के गाँव विकास योजना के प्रस्ताव स्वयं गाँव सभा में पारित करके पंचायत को प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाएगी।

हस्ताक्षर

हितेश डामोर
सरपंच

अध्यक्ष __________ सचिव रामलाल

सूचना

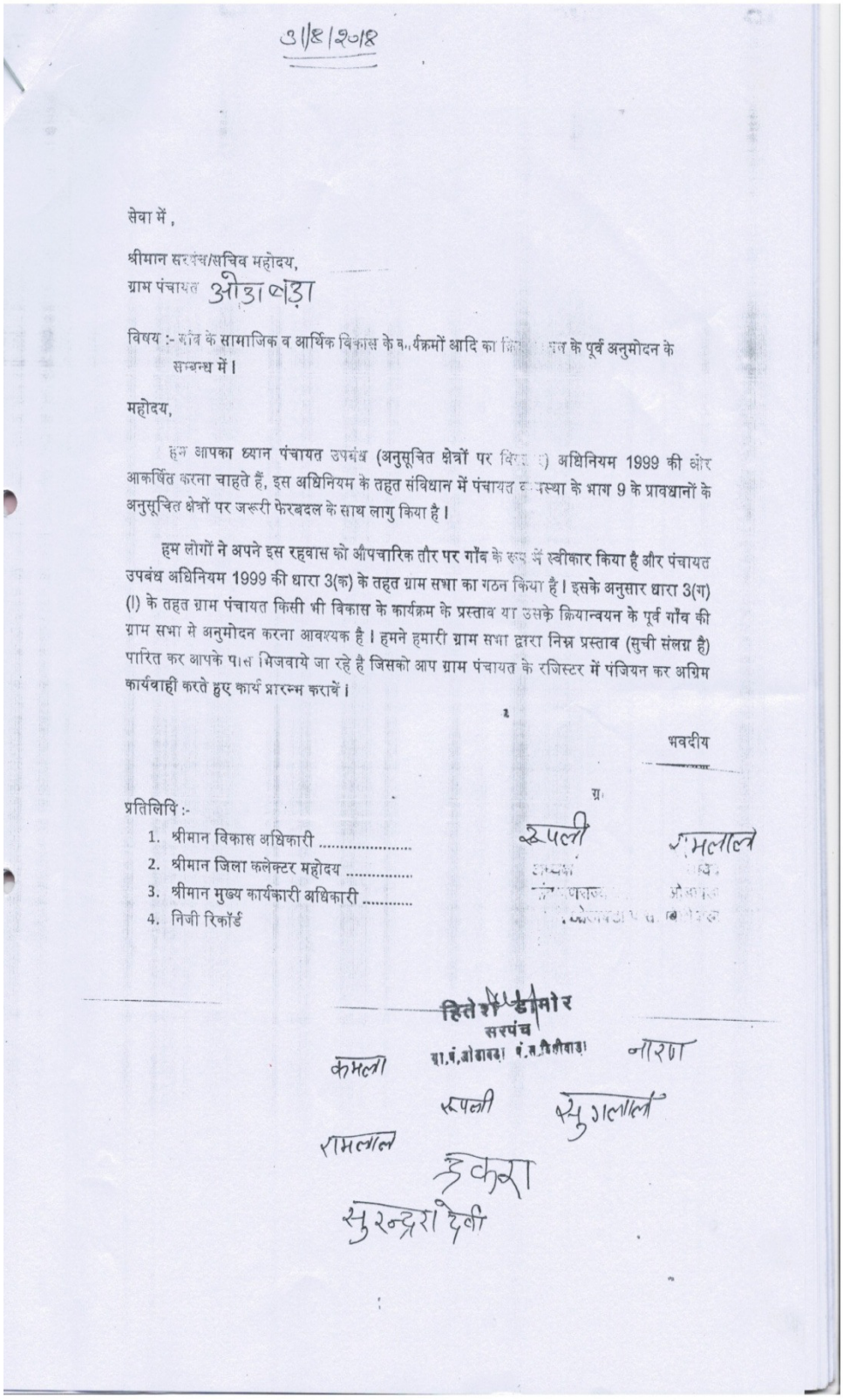

3/8/2018

सेवा में ,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत ओडावाड़ा

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का [illegible] के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर [illegible]) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है ।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है । इसके अनुसार धारा 3(ग)(I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है । हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें ।

भवदीय

ग्रा.

रूपली रामलाल

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान विकास अधिकारी ....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
4. निजी रिकॉर्ड

हितेश डामोर
सरपंच
ग्रा.पं.ओडावाड़ा पं.स.[illegible]

कमला नारणा
रूपली सुगलाल
रामलाल
हकरा
सुरन्द्रा देवी

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

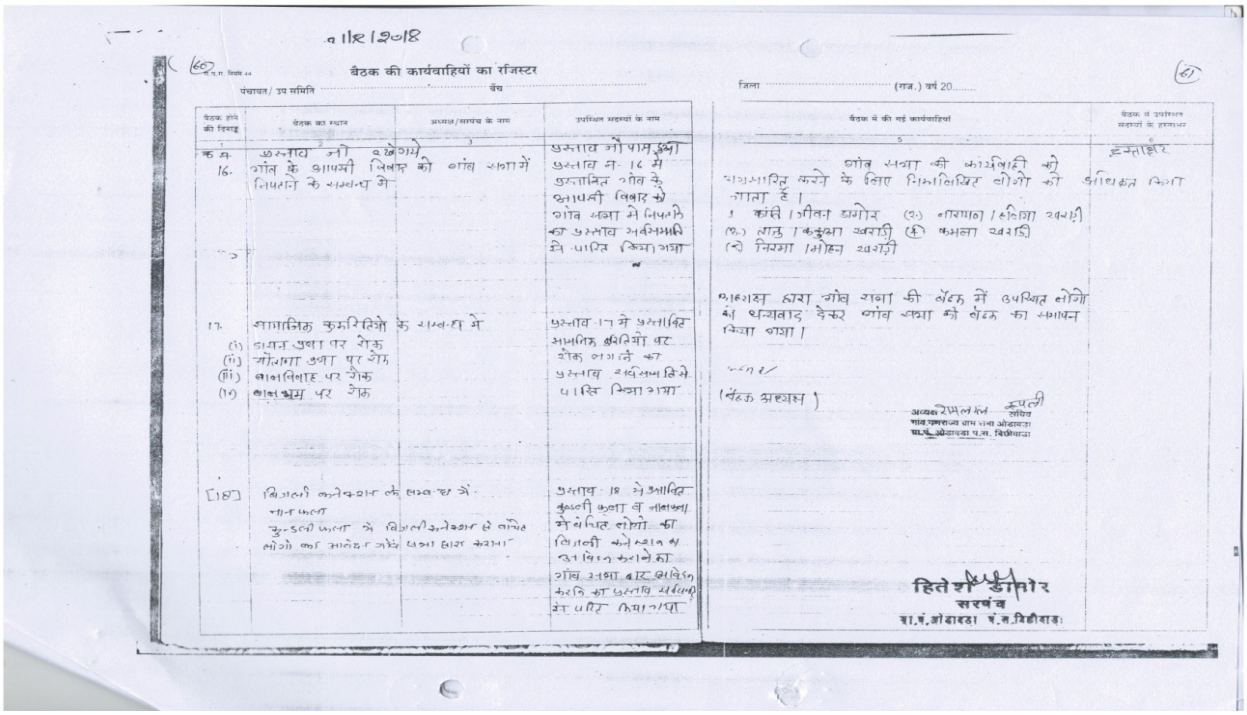

प्रस्ताव प्रथम पेज

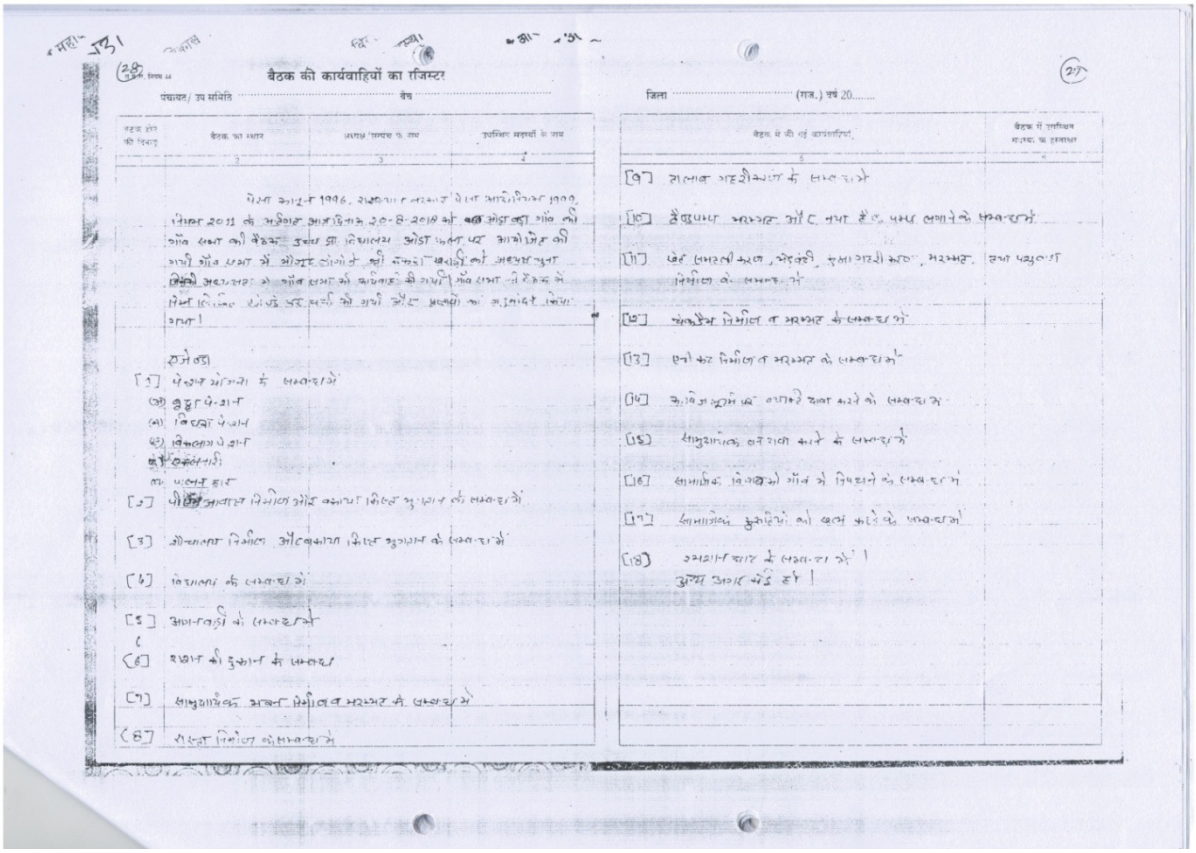

प्रस्ताव अंतिम पेज

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -

	नाम	**फोन न.**
1.	लक्ष्मण वाजा डामोर -	8290348978
2.	इंदिरा देवी -	9571718615
3.	रुपली देवी -	9571242260
4.	सुखलाल रमात -	9950526214
5.	रामलाल डामोर -	8107384974
6.	निर्मला -	7073301486
7.	कमला खराड़ी -	9116612723